



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265842
CG-DL-E-01092025-265842

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3862]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 3862]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

का.आ. 3967(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2881(अ) तारीख 19.07.2024 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु राज्य में कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु- मंगलुरु पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन

(केकेबीएमपीएल)

राज्य : तमिलनाडु

अनुसूची				
राज्य: तमिलनाडु				
ज़िला	तहसील/तालुक	गांव	सर्वेसंख्या	हेक्टेयर-आर-वर्गमीटर
1	2	3	4	5
सेलम	कडयमपट्टी	दाससमुद्रम	65/2B2A	0. 02. 00

[फा. सं. एल-14014/8/2023-जीपी-II)(ई-46819)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

S.O. 3967(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S. O. No.2881 (E) dated 19.07.2024 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Pipeline (KKB MPL) in the State of Tamil Nadu by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

**KOCHI-KOOTTANAD-BANGALORE-MANGALORE PIPELINE
(KKB MPL)**

Section: Krishnagiri to Salem

State: Tamil Nadu

SCHEDULE				
State: Tamil Nadu				
District	Tehsil/Taluk	Village	Survey No.	Hect. Are Sq.Mtrs
1	2	3	4	5
Salem	Kadayampatti	Dasasamudram	65/2B2A	0. 02. 00

[F. No. . L-14014/8/2023-GP-II) (E-46819)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.